



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श10)

(सं0 पटना 72) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 05/2018-राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 133 दिनांक 25 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर से उस हद तक छूट देते हैं जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केंद्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केंद्र सरकार द्वारा किये गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केंद्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I) 05 (Rate)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 133, दिनांक 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I) 05 (Rate)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

Notification No. 05/2018-State Tax (Rate)

S.O. 133, dated 25th January 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the State tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-I) 05 (Rate)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 72-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>